ग्राम पंचायत नौशेहरा, विकास खण्ड देहरा जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176029 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. **प्रस्तावना**

(क)ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत नौशेहरा, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संचालित किया गया।

(ख)अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री अवतार सिंह	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री राजिंदर सिंह	01.04.2022 से 31.03.2023
2	श्री ओंकार चन्द	01.04.2023 से 01.01.2024
3	श्री राजिंदर सिंह	02.01.2024 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1.	श्री संजय कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री वीरेंदर कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

(ग)गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत नौशेहरा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	3.19
2	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	23.31
3	6.2	अनुदान 14वां वित्तायोग के अन्तर्गत शेष बची राशि को ग्राम पंचायत द्वारा सभा निधि में अनियमित हस्तातंरण करना	2.15
4	7	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.35
5	8.1	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना व दुर्विनियोजन करने बारे	0.06
7	9.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	5.98
8	9.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	7.20
9	9.3	खनन सामग्री बिलो के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान करने बारे	0.76
10	10	निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे	8.79
11	11	बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारे	3.37
12	12.1	स्त्रोत पर जी०एस०टी/टी०डी०एस०की कटौती न करने से सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि:-	0.10
13	12.2	आमन्त्रित निविदाओं में न्यूनतम निविदा दर की तुलना में अधिक दर से भुगतान करना	0.07

(घ)गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत नौशेहरा का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लिये किया गया था, जिसके शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित हैं:–

(1)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	मांग व प्राप्ति रजिस्टर पेज संख्या 130 अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त
2.	4(1)(2)	निर्णीत	वित्तीय स्थिति में कोई अन्तर न होने के दृष्टिगत
3.	5	निर्णीत	बैंक समाधान विवरणी में शून्य अंतर के दृष्टिगत
4.	6	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी कांगडा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
5.	7(1),(2)	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी कांगडा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
6	8	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी कांगडा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
7	9	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी कांगडा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
8	10	अनिर्णीत	—
9	11	अनिर्णीत	—
10	12	अनिर्णीत	—
11	13	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
12	14	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी कांगडा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत नौशेहरा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30.01.2025 से 04.02.2025 तक

ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्कीम वाईज ऑनलाईन रोकड बहियों के आधार पर किया गया। आय–व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:–

वर्ष	आय	व्यय
2022–23	01/2023	05/2022
2023–24	03/2024	06/2023

अस्वीकरण(Disclaimer):–वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/88 दिनांक–04.02.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2025/74 दिनांकः–30.01.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया है:–

1.स्व–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	137158.57	492082.00	629240.57	71522.00	557718.57
2023-24	557718.57	17807.00	575525.57	172155.00	403370.57

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	3278041.79	3227480.00	6505521.79	4302380.00	2203141.79
2023-24	2203141.79	1430280.00	3633421.79	1302523.40	2330898.39

कुल योग (1+2) 403370.57**+2330898.39=2734268.96**

(ख). बैंक समाधान विवरणीः—

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकडबहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹2734268.96/- तथा प्रस्तुत बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट—3"** अनुसार अन्तशेष ₹2415085.33/—से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

	बैंक खातों की विवरणीः—			
क्र.	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेश (₹)
1	स्वयं स्रोत/ पांचवा वित्	के. सी .सी. बैंक देहरा	20008005387	527871.15
2	वी. के .वी .एन. वाई/ एस.डी.पी/ एस.डी.आर.एफ	के.सी.सी.बैंक पाइसा	20115024911	182189.21
3	एम .पी. लेड	के.सी.सी.बैंक बालुग्लोवा	2440000100060771	40959.65
4	14वां वितायोग	एच.डी.एफ.सी बैंक.देहरा	50100216203217	560065.84
5	15 वां वितायोग	एच.डी.एफ. सी बैंक.देहरा	50100363249994	1102999.48
6	हस्तगत शेष(स्वःस्त्रोत की ऑनलाईन रोकड.बही के अनुसार)			1000
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः—				₹2415085.33
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :—				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः—				₹2734268.96
पंचायत के बैंक खातों/नकद का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः—				₹2415085.33
अन्तरः—				319183.63

नोटः— अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातो के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तशेषों में राशि ₹3.19/– लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत नौशेहरा द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी ,जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹319183.63/- का अन्तर रोकडबही में अधिक शेष के रूप में पाया गया, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/76 दिनांकः–31.01.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPN 37/25 दिनांकः–04.02. 2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अंतर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारेः–

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक–15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

सचिव ग्राम पंचायत नौशेहरा द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट "3" व बैंक खातो के अंकेक्षण में पाया गया कि ,ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे,बल्कि स्वःस्त्रोत, व पांचवा वित्त तथा एस.डी.पी/वी.के.वी.एन.वाई/एस.डी.आर.एफ आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमो एवं निर्देशो के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20008005387 व 20115024911 खोले गये थे, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाते एवं नियमो/निर्देशों के विपरीत होने के कारण आपतिजनक है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/80 दिनांकः–01.02.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–GPN 37/25 दिनांकः–04.02.2025 द्वारा अवगत करवाया कि शीर्ष वाईज खातो का अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार/निर्देशानुसार स्कीम वाईज खातो का संचालन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो अनुसार ही बैंक खातो का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ड.) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2022–23 व 2023–24 की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के व्यय वाउचरो से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ था तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं:–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	बिल सं0,मस्ट्रोल सं0/दिनांक	कार्य का नाम	राशि ₹
1	15वां वित	पी/9/24.05.2022	014/17.01.2022	सौंदर्यकरण व अपवर्धन शमशानघाट कण्डयाला वार्ड–1	40000
2	वी.के.वी.एन.वाई	पी/2/22/04.05.2022	869/निल	कम्पलीशन सामुदायिक केन्द्र नण्डलू वार्ड–2	37538
3	एस.डी.आर.एफ	पी/2/04.05.2022	628,717/10.05.2022,18.06.2022	मुरम्मत रास्ता पाली के घर से मेहरवा वार्ड–3	55556
4	एस.डी.आर.एफ	पी/3/04.05.2022	628,717/10.05.2022,18.06.2022	मुरम्मत रास्ता अंजना देवी के घर से रमेश चन्द के घर तक वार्ड–1	60401
5	एस.डी.	पी/4,14/	628,058/10.05.	मुरम्मत कुआं गांव भाटी	96886

	आर.एफ	04,24.05. 2022	2022,24.05.2022	वार्ड–5	
6	एस.डी. आर.एफ	पी/7/04. 05.2022	85/12.04..2022	मुरम्मत रास्ता प्रकाश चन्द के घर से अमरनाथ बाबडी वार्ड–1	9018

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त की गई आय की भी लेखा खाता/खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों की अंकेक्षण में सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि अनियमित तथा आपतिजनक है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/87 दिनांकः–04.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPN 37/25 दिनांकः–04.02.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अवधि की खाता बहियो/लेखा खातो को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निवेश न करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त ,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियो को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के मुख्य निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹3,79,657.15 से ₹5,27,871.15 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना सख्यां राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/87 दिनांकः 04.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके

प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– GPN 37/25 दिनांक 04.02.2025 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति में हि०प्र० पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6.1 अनुदान की राशि ₹23.31/– लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ०वृ०कां० /2025/74 दिनांकः–30.01.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना, जो कि [redacted]1 व [redacted]2 पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹23,30,898.39/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र०सं०	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	5वां वित	31.03.2024	314267
2	वी.के.वी.एन.वाई	31.03.2024	97357
3	एम.पी.लेड	31.03.2024	73179.65
4	एस.डी.आर.एफ	31.03.2024	53829
5	एस.डी.पी	31.03.2024	40645
6	14वाँवित्त	31.03.2024	727350.54
7	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	1024270.20
		कुल जोड	**2330898.39**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ०वृ०कां/2025/77 दिनांक–31.01. 2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPN

37/25 दिनांकः—04.02.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न कर पाने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्येश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदान 14वां वितायोग के अंतर्गत शेष बची राशि ₹2.15/— लाख को ग्राम पंचायत द्वारा सभा निधि में अनियमित हस्तांतरण करने बारे :—

विशेष सचिव (RD&PR) हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्या No.I/518921/2024 PCH-HC(1) e-PRI दिनांक 21.11.2024 द्वारा जारी दिशा—निर्देशों अनुसार 14वें वित के अंतर्गत ई—ग्रामस्वराज पोर्टल पर व्यय करने की समयबद्धता को 31 मार्च 2025 तक बढा दिया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार 14वां वित्तायोग से राशि ₹2,15,249/— का हस्तांतरण सभा निधि में किया गया है, जोकि समय—2 पर जारी एवं उक्त दिशा—निर्देशों की अवहेलना है। इसके अतिरिक्त उक्त हस्तांतरित राशि से संबंधित फण्ड हस्तांतरण आदेश या सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेशो से संबंधित अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया हैः—

क्र0सं0	अनुदान	दिनांक	बैंक	खाता संख्या	राशि ₹
1.	14वां वित	25.04.2022	एच.डी.एफ.सी बैंक.देहरा	50100216203217	215249.00

अतः उक्त किये गए अनियमित हस्तांतरण बारे सम्पूर्ण समर्थित अभिलेखो सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फण्ड हस्तांतरण आदेशो उपरान्त ही हस्तांतरण करना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

पंचायत राजस्व से प्राप्त राशि आयः—

7 सम्पति कर/गृहकर की राशि ₹0.35/- लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत(Outstanding)नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/74 दिनांकः—30.01.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹35700**/— की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु

शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की राशि का बिना पर्याप्त कारणो के शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा सम्पत्ति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए गए दिनांक 31.03.2024 को सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि व अंकेक्षण अवधि के दौरान सृजित की गई मांग की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/78 दिनांकः–01.02.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPN 37/25 दिनांकः–04.02.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा उक्त से संबंधित मांग व संग्रह रजिस्टर को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके , भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा सम्पति कर/गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर को भी तैयार करके व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.06/– लाख को सरकारी कोष/बैंक में जमा न करवाकर दुर्विनियोजन करने बारेः–

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः– 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/74 दिनांकः–30.01.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना अनुसार ग्राम पंचायत नौशेहरा द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान ₹5850 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई ,परन्तु उसे सरकारी कोष/बैंक में जमा नहीं करवाया

गया था, जिससे कि सरकारी कोष में प्राप्त होने वाली आय की दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष/बैंक में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/79 दिनांकः–01.02.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत नौशेहरा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–GPN 37/25 दिनांकः–04.02.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष/बैंक में जमा नहीं करवाया गया है,जिसे संबंधित सचिव से वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि,जोकि सरकारी कोष/बैंक में जमा नहीं करवाई गई ,की वसूली उचित स्त्रोत से करके, शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भी यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृति न हों व कृत अपेक्षित सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹5.98/– लाख के स्टॉक का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश ,निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत नौशेहरा के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा, संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार ₹597861/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था एवं आपूर्ति आदेशों के अभाव में क्रय सामग्री के मांग अनुरूप होने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी, फलस्वरूप अंकेक्षण में किसी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/83 दिनांकः–03.02.2025 द्वारा उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPN 37/25 दिनांकः–04.02.2025 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण

करके ही सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹7.20/– लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत नौशेहरा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न परिशिष्ट–6 पर संकलित राशि ₹720217/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरो में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका। लेखांकन प्रक्रिया में इस त्रुटि के चलते किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुर्विनियोजन की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है।

इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/84 दिनांकः–03.02.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPN 37/25 दिनांकः–04.02.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्यरहित एवं नियम प्रावधानो के प्रतिकूल होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का मदवार पारदर्शी इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹0.76/– लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के

अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा,परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हं भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण व पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "7"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि की वैध स्त्रोत से आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹75810.13/– का अनियमित भुगतान किया गया तथा पूर्वोक्त नियम, प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/85 दिनांकः–04.02.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPN 37/25 दिनांकः–04.02.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही किया गया है व उक्त व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है। वर्तमान समय से उक्त फॉर्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है ,प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। क्योंकि उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन निर्माण सामग्री हेतु आपूर्तिकर्ताओं को नियमों के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानो को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा ऐसे सभी प्रकरणों को संबंधित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

10 निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में राशि ₹8.79/– लाख के अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित मास 05/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹879469/–का भुगतान किया गया था, परन्तु निम्न निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कियें गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका तथा अंकेक्षण के दौरान अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत न करना कृत व्यय को स्वतः सन्देहास्पद बनाता है:–

क्र.स. व अनुदान	वाउचर सं/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान राशि₹	वांछित अभिलेख
1.5वां वित	पी/9/24.05.2022	014/17.01.2022	सौंदर्यकरण व अपवर्धन शमशानघाट कण्डयाला वार्ड–1	40000	प्रस्ताव, स्वीकृति पत्र, प्राक्कलन माप–पुस्तिका,34–सी
2.वी.के.वी.एन.वाई	पी/2/22/04.05.2022	869/निल	कम्पलीशन सामुदायिक केन्द्र नण्डलू वार्ड–2	37538	प्रस्ताव, स्वीकृति पत्र, प्राक्कलन,माप–पुस्तिका,34–सी
3.एस.डी.आर.एफ	पी/2/04.05.2022	628,717/10.05.2022,18.06.2022	मुरम्मत रास्ता पाली के घर से मेहरवा वार्ड–3	55556	प्रस्ताव, स्वीकृति पत्र, प्राक्कलन माप–पुस्तिका,34–सी
4.एस.डी.आर.एफ	पी/3/04.05.2022	628,717/10.05.2022,18.06.2022	मुरम्मत रास्ता अंजना देवी के घर से रमेश चन्द के घर तक वार्ड–1	60401	प्रस्ताव, स्वीकृति पत्र, प्राक्कलन माप–पुस्तिका,34–सी
5.एस.डी.आर.एफ	पी/4,14/04,24.05.2022	628,058/10.05.2022,24.05.2022	मुरम्मत कुआं गांव भाटी वार्ड–5	96886	प्रस्ताव, स्वीकृति पत्र, प्राक्कलन माप–पुस्तिका,34–सी
6.एस.डी.आर.एफ	पी/7/04.05.2022	85/12.04..2022	मुरम्मत रास्ता प्रकाश चन्द के घर से अमरनाथ बाबडी वार्ड–1	9018	प्रस्ताव, स्वीकृति पत्र, बजट प्राक्कलन माप–पुस्तिका,34–सी
7.14वां वित	पी/4/22/17.05.2022	285/10.05.2022	खेल सामग्री जी.पी.एस.नौशेहरा वार्ड–4	249890	प्रस्ताव, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन माप–पुस्तिका,34–सी

8.14वां वित	पी/5/36/17.05.2022	278/03.05.2022	खेल सामग्री जी.पी.एस. मिठी अम्बल वार्ड–4	249890	प्रस्ताव, तकनीकी स्वीकृति , प्राक्कलन माप–पुस्तिका,34–सी
9.15वां वित	पी/1/78//18.05.2022	717/18.06.2022	मुरम्मत कुआं परशीन्दा की जमीन में वार्ड–3	6137	प्रस्ताव, तकनीकी स्वीकृति , प्राक्कलन माप–पुस्तिका,34–सी
10.मनरेगा	निल/20.05.2022	मस्टर रोल–670	मुरम्मत रास्ता धनी राम के घर से जामुन पुलिया वार्ड–4	10812	प्रस्ताव, माप–पुस्तिका,34–सी
11.मनरेगा	निल/20.05.2022	मस्टर रोल–669,242	मुरम्मत रास्ता व पुली प्रकाश चन्द के घर से नजदीक अमरनाथ बाबडी वार्ड–4	31376	प्रस्ताव, माप–पुस्तिका,34–सी
12.मनरेगा	निल/05.06.2023	मस्टर रोल–745, 1107	नि0 नाली जोगिन्दर की गौशाला से लेकर कुआं तक वार्ड–5	2276	प्रस्ताव, माप–पुस्तिका,34–सी
13.मनरेगा	निल/05, 21.06.2023	मस्टर रोल–749,1133	लैण्ड लेवलिंग भीम सिंह की जमीन में वार्ड–3	20416	प्रस्ताव, माप–पुस्तिका,34–सी
14.मनरेगा	निल/05, 21.06.2023	मस्टर रोल–1132,747	निर्माण नाली जगरनाथ के खेत से नाले तक वार्ड–4	9273	प्रस्ताव, माप–पुस्तिका,34–सी
			कुल योग	**879469**	

वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे सचिव ग्राम पंचायत नौशेहरा से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/82 दिनांकः–03.02.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPN 37/25 दिनांक 04.02.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि माप–पुस्तिकाओं व अन्य अभिलेखो को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सचिव द्वारा उपरोक्त अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये व

नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 राशि ₹3.37/— लाख के बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारेः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित मास 05/2022 व 06/2023 के व्यय के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि **₹337486.10**/—का भुगतान किया दर्शाया गया था, जिसके बिल/वाउचरो को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, अंकेक्षण के दौरान कृत व्यय के समर्थन में वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना कृत व्यय को स्वतः सन्देहास्पद बनाता हैः—

क्र0सं0	अनुदान/ मद	वाउचर सं0/ दिनांक/बिल सं0	कार्य का नाम/विवरण	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	राशि ₹
1.	14वां वित	पी/8/24.05.2022	सौंदर्यकरण व अपवर्धन शमशानघाट कण्डयाला वार्ड—1	3	4100
2.	14वां वित	पी/9/24.05.2022	शैड शमशानघाट सुराणी	3	18638
3.	15वां वित	पी/2/18.05.2022	सीमेंट अदायगी	निल	15181
4.	मनरेगा	निल/21.05.2022/792,793	निर्माण डेन सुदर्शना देवी के घर से संजीव कुमार की दुकान वार्ड 4	निल	11300
5.	मनरेगा	निल/21.05.2022/14627	निर्माण नाली जोगिन्दर की गौशाला से लेकर कुआं तक वार्ड—5	निल	61370
6.	मनरेगा	निल/21.05.2022/14628	निर्माण नाली रीना देवी के घर से जोगिन्दर के कुएं तक वार्ड—5	निल	61370
7.	मनरेगा	निल/21.05.2022/783	निर्माण पक्का रास्ता रणवीर के घर से स्वरूप के घर वार्ड—3	निल	110232.10

8.	मनरेगा	निल / 30.06. 2023 / 364	मुरम्मत कुआं टीका भाटी नौशेहरा वार्ड–5	निल.	55295
				कुल	337486.10

उक्त बिल / वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 86 दिनांकः–04.02.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPN 37/25 दिनांकः–04.02.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त बिल / वाउचरो को आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्यरहित एवं नियम प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त बिल / वाउचर दिखाए जाने सुनिश्चित किये जाए अन्यथा असमर्थित भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित शीर्ष के खाते में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12.1स्त्रोत पर जी० एस०टी /टी० डी० एस ०की कटौती करने हेतु अपेक्षित अभिलेख संधारित न करने के कारण राशि ₹0.10/- लाख के सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि:-

हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग पत्र संख्या 12-4/78-EXN-TAX-पार्ट–(278/25)-29056,दिनाक 29-09-18 के अनुसार किसी भी सरकारी विभाग /स्थानीय निकाय/सरकारी एजेंसी/बोर्ड और अन्य निकाय द्वारा सविदाकर/फर्म/आपूर्तिकर्ता को दिनांक 01-10-18 से गुड्स व सेवायों और दोनों की आपूर्ति हेतु सिंगल अनुबंध के तहत व अन्तर्राज्यीय सप्लाई के लिये ₹ 2.5 लाख से अधिक की अदायगियों से @2%(1%SGST+1%CGST) की दर से GST/TDS काटने एवं उसे अगले माह की 10 तारीख तक सरकारी कोष में जमा करवाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना व संलग्न "परिशिष्ट -8 "अनुसार 14 वा वित्त शीर्ष के अंतर्गत निम्नविवरणानुसार खेल सामग्री की प्राप्ति की गई थी किन्तु उक्त नियम प्रावधानों के दृष्तिगत आपूर्तिकर्ता से स्त्रोत पर कर राशि **₹9996 /-** की कटौती (जी.एस.टी./टी.डी.एस) नहीं की गई थी:-

क्रम स०	वो०/दिनांक	कॉन्ट्रैक्टर/फर्म का नाम	परिशिष्ट के अनुसार भुगतान की गई राशि (₹)	स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) की राशि (₹)
1.	परिशिष्ट अनुसार (क्रम स०1 ,2)	मै०ज्वाला ट्रेडर्स नदेड जमानाबाद	499780	9996

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 90 दिनांकः–04-02-2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत नौशेहरा को तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPN 37/25 दिनांकः–04.02.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भुगतान की गई राशि

पर जी.एस.टी / टी.डी.एस की कटौती नहीं की गई है जिसकी वसूली संबंधित संविदाकार / व्यक्ति से करने उपरान्त संबंधित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः नियमानुसार टी.डी.एस की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके तथा संबंधित विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि अंकेक्षण अवधि हेतु ऐसे अन्य मामलों की जांच कर वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

12.2 आमन्त्रित निविदाओं में न्यूनतम निविदा दर की तुलना में अधिक दर से ₹0.07 / – लाख का अधिक भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल / वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

पंचायत द्वारा निर्माण कार्यो के लिये सामग्री खरीदने हेतु आमन्त्रित टैंडरों के उत्तर में प्राप्त तीन निविदाओं में मै0 कनिका टाईल्स इण्डस्ट्री भटोली पखोरियां द्वारा दो मदो बजरी (20 / 10mm), सोलिंग के ₹50 प्रति घन फुट व 45.14 प्रति घन फुट तथा मै0 हिमाचल टाईल्स इण्डस्ट्रीज नगरोटा सुरियां द्वारा ₹56.06 प्रति घन फुट व 50.40 प्रति घन फुट तथा मै0 टी0के0एस0 टाईल्स प्रागपुर कांगडा द्वारा ₹42.70 प्रति घन फुट व 33.60 प्रति घन फुट दी गई थी। स्पष्ट रूप से इसमें से मै0 टी0के0एस0 टाईल्स प्रागपुर कांगडा द्वारा दी गई दरे ₹42.70 /– 33.60 ही न्यूनतम है। परन्तु नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा अनुदान के अंतर्गत निम्नविवरणानुसार उक्त मदो का क्रय मै0 टी0के0एस0 टाईल्स प्रागपुर कांगड़ा के स्थान पर मै0 कनिका टाईल्स इण्डस्टीज भटोली पखोरियां द्वारा दी गई दरो से किया गया। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा अधिक दर से ₹7075 / – का अधिक भुगतान किया गया था, जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता हैः–

अनुदान	वाउचर स0 / दिनांक / बिल स0	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	न्यूनतम व अपेक्षित दर से भुगतान ₹	किया गया भुगतान ₹	अधिक भुगतान ₹
1.मनरेगा	निल / 30.06. 2023 / 376 / 25.03.2023	मै कनिका टाईल्स इण्डस्टी भटोली पखोरियां	बजरी सोलिंग	31598 (740cft@42.70) 4872 (145cft@33.60)	37000 (740cft@50) 6545 (145cft@45.14)	5402 1673
					कुल योग	7075

उक्त किये गए अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/89 दिनांकः–04.02.2025 के अंतर्गत पंचायत सचिव नौशेहरा के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPN 37/25 दिनांकः–04.02.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त किये गए अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत संबंधित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त किये गए अधिक भुगतान बारे वस्तुस्थिति तथ्यो सहित स्पष्ट की जाए अन्यथा अंकेक्षण का दिये गए आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित की जाये तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए। पूर्वोक्त मामलो के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु की गई अधिक भुगतान की राशि की भी संस्था/विभागीय स्तर पर नियमानुसार समुचित गणना कर उसकी भी वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13. संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹14.36/– लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 05/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरो पर केवल प्रधान के हस्ताक्षर ही करवाये गए थे। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹1436166.90/– का भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है तथा उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/87 दिनांकः–04.02.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत नौशेहरा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPN 37/25 दिनांकः–04.02.2025 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से संयुक्त हस्ताक्षरो द्वारा की भुगतान किया जा रहा है। प्रस्तुत उत्तर उपरोक्त नियमानुसार न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानो को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

14. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः—

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा पैरा संख्या "10" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:—

1.नियम 104(2)(1) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.नियम 101(1)(सी) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की माप—पुस्तिका ,तकनीकी सहायक की कनिष्ठ अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता की सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है, जो कि नहीं की गई थी।

3.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्ररूप—34 , जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय—व्यय ब्यौरा शामिल होता है ,उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की स्थिति सन्देहास्पद हो जाती है।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2020/87 दिनांकः—04.02.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत नौशेहरा को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—GPN 37/25 दिनांकः—04.02.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त अनियमितताओं की नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्रपत्र—34 को भी तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यो सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

15 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः—

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/74 दिनांकः 30.01.2025 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—GPN 37/25 दिनांकः—04.02.2025 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिससे कि लेखांकन प्रकिया में अपूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है , जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अन्तर्गत अपेक्षित रजिस्टर/अभिलेख			
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप—5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
9	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1)डी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	माप—पुस्तिका रजिस्टर	....	101(2)v
12	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....
हि0प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के अन्तर्गत अपेक्षित रजिस्टर/अभिलेख			
1	अनुदान रजिस्टर	8	34
2	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	34

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टोक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/74 दिनांकः–30.1.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPN 37/25 दिनांकः–04.02.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नही पाया गया।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

17.1 रसीद बुको का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः–

रसीद बुको के स्टॉक के अंकेक्षण में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानो के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुको का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदो के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदो को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप–4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया। जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गयी तथा प्रयोग की गई रसीदो का न तो संकलित विवरण

तैयार किया जा सका तथा न ही अंकेक्षण संभव हो पाया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदो के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदो का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17.2 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत नौशेहरा द्वारा नहीं किया गया था, जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था।

ग्राम पंचायत नौशेहरा के चयनित मासो 05/2022 व 06/2023 के विभिन्न अनुदानो के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि व्यय वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/87 दिनांकः—04.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—GPN 37/25 दिनांकः—04.02.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से वाउचरो पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17.3 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरो पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2022—23 व 2023—24 में चयनित मासो 05/2022 व 06/2023 के मनरेगा व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अँकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 **लघु आपति विवरणिकाः**— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

18 **निष्कर्षः**— लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व समय–2 पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखाओं के रखरखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

25 APR 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
का॰ प्र॰ हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

2454 – 2458

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)127/2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत नौशैहरा विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

25 APR 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
का॰ प्र॰ शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या 4.1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP NAUSHERHRA BLOCK DHERA KANGRA(H.P)-176029 FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	137158.57	492082.00	629240.57	71522.00	557718.57
2023-24	557718.57	17807.00	575525.57	172155.00	403370.57

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	3278041.79	3227480.00	6505521.79	4302380.00	2203141.79
2023-24	2203141.79	1430280.00	3633421.79	1302523.40	2330898.39

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या – "6.1")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP NAUSHERHRA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5th SFC	2022-23	160657.00	502887.00	663544.00	642143.00	21401.00
		2023-24	21401.00	292866.00	314267.00	0.00	314267.00
2	VKVNY	2022-23	55419.00	15289.00	70708.00	50388.00	20320.00
		2023-24	20320.00	166993.00	187313.00	89956.00	97357.00
3	MPLAD	2022-23	72013.65	621.00	72634.65	0.00	72634.65
		2023-24	72634.65	545.00	73179.65	0.00	73179.65
4	SDRF	2022-23	180597.00	242040.00	422637.00	417120.00	5517.00
		2023-24	5517.00	48312.00	53829.00	0.00	53829.00
5	SDP	2022-23	645.00	0.00	645.00	0.00	645.00
		2023-24	645.00	40000.00	40645.00	0.00	40645.00
6	14TH FC	2022-23	1706075.54	30973.00	1737048.54	1013719.00	723329.54
		2023-24	723329.54	4021.00	727350.54	0.00	727350.54
7	15TH FC/ZP/PS	2022-23	1102634.60	1076320.00	2178954.60	819660.00	1359294.60
		2023-24	1359294.60	224576.00	1583870.60	559600.40	1024270.20
8	MGNREGA	2022-23	0.00	1359350.00	1359350.00	1359350.00	0.00
		2023-24	0.00	652967.00	652967.00	652967.00	0.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नौशहरा...
विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा

- 27 -

27

परिशिष्ट -03 (पैरा संख्या 4.1 (ख))

कार्यालय ग्राम पंचायत नौशेहरा विकास खंड देहरा जिला काँगड़ा हि.प्र.176029

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत नौशेहरा दिनांक 01-04-2022 व 01-03-2024 को बैंक शेष:-

क्र. सं.	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01-04-2022 को	बैंक शेष 31-03-2024 को
01	स्वयं सत्रोत/ पांचवा वित्आयोग	के. सी .सी. बैंक देहरा	20008005387	379657.15	527871.15
02	वी. के .वी .एन. वाई//एस. डी. आर. ऍफ़. /एस. डी. पी.	के.सी.सी.बैंक पाइसा	20115024911	358745.21	182189.21
03	एम .पी. लेड	के.सी.सी.बैंक बालुग्लोवा	2440000100060771	38719.65	40959.65
04	14वां वितायोग	एच.डी.एफ.सी बैंक.देहरा	50100216203217	1682082.84	560065.84
05	15 वां वितायोग	एच.डी.एफ. सी बैंक.देहरा	50100363249994	1127827.66	1102999.48
	हस्त गत शेष (स्व सत्रोत की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			2337	1000
	हस्त गत शेष (एम.पी.लेड की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			715	0
	कुल योग			**3590084.51**	**2415085.33**

सचिव
ग्राम पंचायत नौशेहरा
विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा

(28)

परिशिष्ट -04 (पैरा संख्या -"7.0")

कार्यालय ग्राम पंचायत नौशेहरा विकास खंड देहरा जिला काँगड़ा हि.प्र.176029

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत नौशेहरा में वसूली हेतू शेष सम्पत्ति कर/गृह कर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 450 व 2023-24 में 460 परिवारों में रू50/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से:-

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार की संख्या	दर /प्रतिवर्ष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2022 -23	9650	450	50	22500	32150	19450	12700
2023-24	12700	460	50	23000	35700	0	35700

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नौशेहरा
विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा

(29)

परिशिष्ट-5 (पैरा संख्या – "8·1")

कार्यालय ग्राम पंचायत नौशेहरा विकास खंड देहरा जिला काँगड़ा हि.प्र.प्राप्त की गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानि

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वि.रजि.पृ.स. /रसीद स0	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
1	गुलशन चौधरी	19-04-22	11-05-22	16/461431	200	200	0
2	पुष्पा	21-04-22	18-05-22	17/461432	200	200	0
3	जितेंद्र गुलेरिया	13-04-22	07-06-22	17/461435	400	400	0
4	ओंकार सिंह	07-06-22	15-06-22	18/461438	200	200	0
5	नेहा परिहार	12-05-22	02-08-22	18/461447	200	200	0
6	मनीष राणा	04-08-22	24-08-22	19/461457	200	200	0
7	रोहित कुमार	04-08-22	29-09-22	19/461460	400	400	0
8	अर्जुन सिंह	02-12-22	19-12-22	20/461467	200	200	0
9	रजत धीमान	14-12-22	26-12-22	20/461470	200	200	0
10	रजत गुलेरिया	27-01-23	09-02-23	21/461478	200	200	0
11	रोहित गुलेरिया	31-01-23	16-02-23	21/461480	200	200	0
12	अनिल कुमार	23-02-23	17-03-23	22/461255	200	200	0
13	रणजीत सिंह	08-03-23	17-03-23	22/461256	200	200	0
14	गौरव राणा	09-03-23	06-04-23	23/461260	200	200	0
15	रजत कुमार	20-05-23	16-06-23	23/461262	200	200	0
16	चन्दन चौधरी	12-05-23	16-06-23	24/461264	400	400	0
17	कमलेश कुमार	10-07-23	21-07-23	24/0058056	200	200	0
18	विश्बजीत सिंह	21-10-23	01-11-23	25/0058057	50	50	0
19	राहुल कुमार	26-09-23	25-11-23	25/0058058	400	400	0
20	भुवनेश	28-11-23	20-12-23	26/0058059	200	200	0
21	मुकेश गुलेरिया	07-12-23	23-12-23	26/0058060	200	200	0
22	रजत गुलेरिया	06-02-24	05-03-24	27/461282	200	200	0
23	आशीष गुलेरिया	06-03-24	14-03-24	27/461284	200	200	0
24	अंशुल	18-02-24	21-03-24	28/461285	400	400	0
25	अशबनी कुमार	13-03-24	01-04-24	28/461289	200	200	0
				कुल	**5850**	**5850**	**0**

नौशेहरा

(30)

परिशिष्ट -6 (पैरा संख्या "9.1 व 9.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत नौशेहरा विकास खंड देहरा जिला काँगड़ा हि.प्र.-176029 औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर क्रय करना व स्टॉक/स्टोर की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना।

क्र. स.	मद का नाम	वाउचर संख्या / दिनांक	फर्म का नाम	बिल संख्या / दिनांक	सामग्री	मात्रा	दर	राशि	टिप्पणी
1	SF	P/9/19.05.2022	M/s Sharama General Store Darkata	342/18.05.2022	Stationary			1860	स्टोक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
2	5TH SFC	P/9/24.05.2022	M/s Kanika Tiles Industries Bhatoli Phakorian	014/17.1.2022	RCC Bench with fitting	7	5714.29	40000	स्टोक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
3	VKVNY	P/2/22/04.05.2022	M/s Ajay Trading Company Bane Di Hatti	869/Nil	Sand Crasher(m3) Crasher Baz.(m3) Shuttering(sqf) Bricks	5.03 4.3 720 1900	1571 1420 10 8.5	7902 6106 7200 16150	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
4	SDRF	P/7/04.05.2022	M/s Sharama Traders Ranital	85/12.04.22	TMT Bar(12mm) TMT Bar(10mm) Wire (KG)	55 57 1.6	77.88 80.24 100	4283 4574 160	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
5	SDRF	P/10/31/17.05.2022	M/s Mukesh Kumar Nausherha,M/s Raj Kumar Nausherha/M/s Desh Raj Hanumaan Chowk Dehra	Nil	Cement Bags Tractor Loading& Unloading			2140	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
6	SDRF	P/11/33/17.05.2022	M/s Ashok Kumar Gaglu Balugloana,M/s Ravi Kumar Nausherha	Nil	Cement Bags Carriage Loading& Unloading			1300	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
7	SDRF	P/12/33/17.05.2022	M/s Desh Raj Nausherha,M/s Pankaj Kumar Nausherha,M/s Jarnail Singh Kandiyala	Nil	Cement Bags Carriage Loading& Unloading			2160	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
8	SDRF	P/13/34/17.05.2022	M/s Pankaj Kumar Nausherha,Desh Raj Hanumaan Chowk Dehra,Ranveer Singh Meharwan	Nil	Cement Bags Carriage Loading& Unloading			4800	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
9	SDRF	P/19/30/17.05.2022	M/s Shinder Singh,M/s Ajay Kumar Nausherha,Jarnail Singh Kandiyala	Nil	Cement Bags Carriage Loading& Unloading			2340	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
10	SDRF	P/08/29/17.05.2022	M/s Desh Raj Hanumaan Chowk Dehra,Govind Singh Nandlu,M/s Pankaj Kumar Nausherha	Nil	Cement Bags Carriage Loading& Unloading			4460	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
11	SDRF	P/14/46/24.05.2022	M/s Kanika Tiles Industries Bhatoli Phakorian	58/24.05.2022	Bricks	8000	8.8	70400	स्टोक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
12	14TH FC	P/4/35/17.05.2022	M/s Maa Jawala Traders Nandher Zamanadabaad	285/10.05.2022	Sports Material Items			249890	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
13	14TH FC	P/5/36/17.05.2022	M/s Maa Jawala Traders Nandher Zamanadabaad	278/10.05.2022	Sports Material Items			249890	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
14	NREGA	Nil/30.06.2023	M/s Kanika Tiles Industries Bhatoli Phakorian	376/25.03.2023	1 Bazri 20/10mm(cft) 2 Sand(cft) 3 Soiling(cft) 4 Shuttering(sqf) 5 Local Ciarriage 6 Cement Loading&unloading	740 385 145 2205 	50 47.42 45.14 14 	37000.00 18257 6545.00 30870.00 2096.00 1540	(1,2,3) की स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई तथा शटरिंग की एक निविदा व Local Ciarriage,Cement Loading&unloading की कोई निविदा प्रस्तुत नहीं की गई
					कुल योग			**771923**	

नोट:- 1. क्रम संख्या - 3 से 10 व 12, 13 तथा 14(4,5,6) की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया अथवा निविदाये अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. क्रम संख्या 1 से 4, 11,12,13 तथा 14(1,2,3) की स्टॉक प्रविष्टियो का इन्द्राज नहीं किया गया।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नौशेहरा
विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा

परिशिष्ट –7 (पैरा संख्या– "9.3")

कार्यालय ग्राम पंचायत नौशेहरा विकास खण्ड देहरा ,जिला कांगडा द्वारा हि0प्र0 –176029 द्वारा क्रय खनन निर्माण सामग्री

क0 सं0	अनुदान	वाचर सं0 /दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं0 /दिनांक	सामग्री	मात्रा / प्रति घन ,प्रति फुट	दर	राशि
1	VKVNY	P/2/22/04.05.2022	M/s Ajay Trading Company Bane Di	869/Nil	Sand Crasher	5.03	1571	7902.13
					Carasher Bajari	4.3	1420	6106.00
2	NREGA	Nil/30.06.2023	M/s Kanika Tiles Industries Bhatoli Phakorian	376/25.03.2023	Bazri 20/10mm	740	50	37000.00
					Sand	385	47.42	18256.70
					Soiling	145	45.14	6545.30
						कुल		75810.13

नोटः–उपरोक्त खनन निर्माण सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा X और W फॉर्म प्राप्त किए बिना ही क्रय की गई।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नौशेहरा
विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा

प्रधान
ग्राम पंचायत नौशेहरा
विकास खण्ड देहरा (हि.प्र.)

(32)

परिशिष्ट -8 (पैरा संख्या - "2.1")

क्र. स.	मद का नाम	वाउचर संख्या / दिनाकं	फर्म का नाम	बिल संख्या / दिनाकं	सामग्री	मात्रा	दर	राशि
1	14TH FC	P/4/35/17.05.2022	M/s Maa Jawala Traders Nandher Zamanadabaad	285/10.05.2022	Sports Material Items	—	—	249890
2	14TH FC	P/5/36/17.05.2022	M/s Maa Jawala Traders Nandher Zamanadabaad	278/10.05.2022	Sports Material Items	—	—	249890
						Total		499780

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ...
विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा

33